

**(GI-1, GI-2, GI-3, VI-1, SI-1, VDI-1)**

DATE: 21.06.2021

MAXIMUM MARKS: 100

TIMING: 3¼ Hours

**PAPER : LAW**

Answer to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium. His/her answer in Hindi will not be valued.

Question No. 1 is compulsory.

Candidates are also required to answer any Five questions from the remaining Six Questions.

**Answer 1:**

- |     |        |              |
|-----|--------|--------------|
| 1.  | Ans. b | } {2 M Each} |
| 2.  | Ans. c |              |
| 3.  | Ans. a |              |
| 4.  | Ans. c |              |
| 5.  | Ans. c |              |
| 6.  | Ans. c |              |
| 7.  | Ans. c |              |
| 8.  | Ans. b |              |
| 9.  | Ans. a | } {1 M Each} |
| 10. | Ans. D |              |
| 11. | Ans. b |              |
| 12. | Ans. c |              |
| 13. | Ans. b |              |
| 14. | Ans. a |              |
| 15. | Ans. b |              |
| 16. | Ans. a |              |
| 17. | Ans. d |              |
| 18. | Ans. c |              |
| 19. | Ans. b |              |
| 20. | Ans. c |              |
| 21. | Ans. a |              |
| 22. | Ans. b |              |

**Answer 2:**

- (a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार, जब तक कि कंपनी के लेख एक बड़ी संख्या के लिए प्रदान नहीं करते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बैठक के लिए कोरम 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से मौजूद होंगे, यदि सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक नहीं है।
- (i) (1) P1, P2 और P3 को तीन सदस्यों के रूप में गिना जाएगा।
- (2) यदि कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी की सदस्य है, तो वह किसी व्यक्ति को बाद की कंपनी की बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए संकल्प द्वारा अधिकृत कर सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति में मौजूद सदस्य माना जाएगा और उसकी गणना की जाएगी। कोरम का उद्देश्य। इसलिए, क्रमशः एबीसी लिमिटेड और डीईएफ लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले P4 और P5 को दो सदस्यों के रूप में गिना जाएगा।
- (3) केवल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित व्यक्ति और प्रॉक्सी द्वारा नहीं गिना जाना चाहिए। इसलिए, इस बात पर विचार करना कि वे सदस्य हैं या नहीं, कोरम के उद्देश्यों के लिए उन्हें बाहर करना होगा। इस प्रकार, P6 और P7 कोरम में नहीं गिना जाएगा।
- अधिनियम के प्रावधान और प्रश्न के तथ्यों के प्रकाश में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केएमएन लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक के लिए कोरम व्यक्तिगत रूप से मौजूद 5 सदस्य हैं। कुल 5 सदस्य (P1, P2, P3, P4 और P5) उपस्थित थे। इसलिए, कोरम की आवश्यकता पूरी हो जाती है।

- (ii) अनुभाग में कहा गया है कि, यदि आवश्यक कोरम आधे घंटे के भीतर मौजूद नहीं है, तो बैठक अगले सप्ताह के लिए स्थगित की जाएगी और निदेशक मंडल द्वारा तय किए गए समय या स्थान या अन्य समय और स्थान पर स्थगित की जाएगी।  
चूंकि, P4 कोरम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक आवश्यक हिस्सा है, और वह 11:30 पूर्वाह्न (यानी बैठक की शुरुआत के आधे घंटे बाद) तक पहुंचता है, बैठक को ऊपर दिए गए अनुसार स्थगित किया जाएगा। {1/2 M}
- (iii) कोरम की कमी के मामले में, बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा जैसा कि धारा 103 में प्रदान किया गया है।  
स्थगित बैठक या दिन, समय या बैठक के स्थान के परिवर्तन के मामले में, कंपनी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से या अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित करके 3 दिन से कम का नोटिस नहीं देगी। {1/2 M}
- (iv) जहाँ कोरम स्थगित बैठक में भी आधे घंटे के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्य कोरम का गठन करेंगे। {1/2 M}

**Answer:**

- (b) Contract Act, 1872 की धारा 195 के अनुसार, अपने प्रिंसिपल के लिए एक एजेंट (प्रतिस्थापित) का चयन करते हुए, एक एजेंट विवेक की उतनी ही मात्रा में व्यायाम करने के लिए बाध्य होता है जितना कि सामान्य विवेक का आदमी अपने मामले में व्यायाम करेगा, और, यदि वह ऐसा करता है, तो वह चुने गए एजेंट के कृत्यों या लापरवाही के लिए प्रिंसिपल के लिए जिम्मेदार नहीं है। {2 M}
- इस प्रकार, "प्रतिस्थापन एजेंट" का चयन करते समय एजेंट साधारण विवेक के व्यक्ति के रूप में परिश्रम की एक ही राशि का उपयोग करने के लिए बाध्य होता है और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रतिस्थापित एजेंट के कृत्यों या लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। {2 M}
- इसलिए, अगर Aziz ने सामान्य विवेक के व्यक्ति के रूप में परिश्रम की एक ही राशि का उपयोग किया है, तो वह नीलामी की आय के लिए Azar के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। {1 M}

**Answer :**

- (c) (i) अंश पूंजी में कमी के लिए प्रक्रिया :-  
एस.एस.पी. लि. द्वारा समता अंश के मूल्य में कमी के संबंध में, कम्पनी की कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के अन्तर्गत प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जो कि अंश पूंजी की कमी के संबंध में बताती है।
- प्रक्रिया :-**
- (1) विशेष प्रस्ताव द्वारा अंश पूंजी की कमी :- कम्पनी के द्वारा आवेदन पर अधिकरण द्वारा पुष्टिकरण के विषय में, अंशों द्वारा सीमित कम्पनी या गारंटी द्वारा सीमित और अंश पूंजी होने पर कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा किसी भी तरीके में और विशिष्ट में अपनी अंश पूंजी कम कर सकेगी :-
- (ए) अदत्त पूंजी के संबंध में किसी भी अंशों पर दायित्व को कम करना या नष्ट करना या
- (बी) किसी भी अंशों पर या तो नष्ट कर या बिना नष्ट किए दायित्व को कम करना :-
- (i) किसी भी अंश पूंजी को रद्द करना जो नष्ट है या उपलब्ध सम्पतियों द्वारा अप्रस्तुत है या
- (ii) किसी अंश पूंजी का भुगतान करना जो, कम्पनी के अधिकतम में है, उसके अंश पूंजी की राशि को कम करके और उसके अंशों के अनुसार सीमा नियम को परिवर्तित करना।
- (2) अधिकरण द्वारा जारी सूचना :- अधिकरण प्रत्येक आवेदन पर जो केन्द्र सरकार, रजिस्ट्रार और कम्पनी के लेनदारों को नोटिस देगा और यह उसके द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर उसके द्वारा किए गए प्रतिवेदन (यदि कोई है तो) पर विचार करेगा। {2 M}

- (3) अधिकरण का आदेश – अधिकरण यदि संतुष्ट है कि ऋण या कम्पनी के प्रत्येक लेनदार के दावे जो मुक्त हो चुके हैं या निश्चित हैं या सुरक्षित हो चुके हैं उसकी अनुमति ली गई है तो उसे उचित लगने पर अंश पूंजी की कमी के लिए नियम और शर्तों पर एक आदेश दे सकता है।
- (4) अधिकरण के आदेश की पुष्टि का प्रकाशन :- अधिकरण द्वारा अंश पूंजी की कमी की सुनिश्चितता का आदेश कम्पनी द्वारा उसी तरीके से जैसा अधिकरण बताए प्रकाशित किया जाएगा।
- (5) रजिस्ट्रार को पंजीकृत आदेश की प्रति देना :- कम्पनी द्वारा अधिकरण के आदेश की पंजीकृत प्रति दी जाएगी और मिनिट अधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार को आदेश की प्रति 30 दिन के भीतर दी जाएगी जो पंजीकृत होगा और प्रभाव के साथ प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- (ii) **अंश पूंजी का परिवर्तन :-** एस.एस.पी. लि. ने उसकी अंश पूंजी में परिवर्तन का प्रस्ताव रखा। वर्तमान अधिकृत अंश पूंजी 5 करोड़ से परिवर्तित कर 4 करोड़ रुपये की जाएगी। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 61 के अनुसार एक अंशपूंजी वाली सीमित कम्पनी सीमा नियम के भाग के रूप में पूंजी परिवर्तित कर सकती है। एक अंश पूंजी सहित कम्पनी, यदि अन्तर्नियम द्वारा अधिकृत हो तो, सामान्य सभा में अपने सीमा नियम को परिवर्तित कर सकती है :-
1. अंश को रद्द करना जिसे संदर्भ में प्रस्ताव को पारित करने की तिथि पर किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया अथवा सहमत हुआ। और रद्द किए गए अंशों की राशि के द्वारा अंश पूंजी की राशि को कम करना। अंशों के रद्दीकरण को अंश पूंजी की कमी माना जाएगा।
  2. एक कम्पनी को अंशों के एकीकरण, परिवर्तन उप – विभाजन, शोधन या रद्दीकरण या स्कन्ध के पुनः परिवर्तन की सूचना परिवर्तित सीमानियम के साथ सम्बन्धित फॉर्म में 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को नोटीस देना होगा। (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 64) कम्पनी को उसके अधिकृत अंश में परिवर्तन के लिए उपरोक्त प्रक्रिया लागू करनी है।

**Answer 3:**

- (a) (i) राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण (एन.एफ.आर.ए.) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के अनुसार केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण को अधिसूचना के द्वारा गठित किया जो लेखा प्रणाली एवं अंकेक्षण मानदण्ड पर इस अधिनियम के तहत मामले प्रदान करता है। किसी भी समय किसी भी कानून में कुछ भी हो परन्तु एन.एफ.आर.ए. –
- (ए) केन्द्र सरकार को लेखा व अंकेक्षण प्रणाली और मानदण्ड निरूपित एवं बनाने की सिफारिश करेगी जिनको कम्पनी और अन्य वर्ग की कम्पनी एवं अंकेक्षक द्वारा इस तरह के मामले में अंगीकृत करते हैं।
- (बी) लेखा मानक व अंकेक्षण मानदण्ड की किसी भी तरह निर्धारित पालना की देखरेख व लागू करना।
- (सी) पेशेवर सहयोगी की सेवाओं की गुणता का निरीक्षण और मानदण्डों की अनुपालना को सुनिश्चित करना और सेवाओं की गुणवत्ता और अन्य सम्बन्धित मामलों में सुधार के लिये मापक की सलाह देना।
- (डी) खण्ड (ए) (बी) और (सी) निर्धारित अन्य सम्बन्धित कार्य क्रियान्वित करना।
- (ii) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) समिति कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) के अनुसार सभी कम्पनियों जिनके तुरंत पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान –
- (1) 500 करोड़ या उससे ज्यादा नेटवर्थ और
  - (2) 1000 करोड़ या उससे ज्यादा टर्नओवर और
  - (3) 5 करोड़ या उससे ज्यादा शुद्ध लाभ
- था तो उनको निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति गठित होगी जिसमें तीन या उससे ज्यादा निदेशक जिनमें से कम से कम एक स्वतन्त्र निदेशक होंगे।

- प्रदान किया है कि अगर धारा 149 (4) में कम्पनी को स्वतन्त्र निदेशक नियुक्त करना आवश्यक नहीं हैं, तो दो या अधिक निदेशक से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में हो सकते हैं।
- सी.एस.आर. समिति के कर्तव्य (धारा 135(3) सी एस आर समिति को
- (ए) बोर्ड को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को बनाना तथा अनुसंशित करना जो अनुसूची VII में दिये गये विषय और क्षेत्र में कंपनी द्वारा दी जाने वाली गतिविधियों का संकेत देगा।
- (बी) खण्ड (ए) में बतायी गयी गतिविधियों में किये जाने वाले खर्च का अनुरोध करना और
- (सी) समय-समय पर कम्पनी की सी.एस.आर. नीति का निरीक्षण करना।

**Answer:**

- (b) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 133 के प्रावधानों के अनुसार, यदि लेनदार बिना किसी जमानत के सहमति के बिना किसी भी प्रकार का बदलाव करता है (यानी शब्दों में परिवर्तन करता है), तो परिवर्तन के बाद लेनदेन के रूप में जमानत का निर्वहन किया जाता है।
- श्री चेतन द्वारा पहले छह महीनों के दौरान नकदी की हेराफेरी के कारण एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को हुए नुकसान के लिए श्री पवन तत्काल मामले में उत्तरदायी हैं, लेकिन वेतन में कमी के बाद किए गए दुरुपयोग के लिए नहीं।
- इसलिए, श्री पवन, अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन से पहले श्री चेतन के कार्य के लिए एक निश्चितता के रूप में उत्तरदायी होंगे, अर्थात् पहले छह महीनों के दौरान। श्री पवन की सहमति के बिना अनुबंध की शर्तों में भिन्नता (वेतन में कमी के रूप में), श्री चेतन को इस तरह के बदलाव के बाद श्री चेतन के कृत्य के लिए सभी देनदारियों से मुक्त कर देगा।

**Answer:**

- (c) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त एक लेखा परीक्षक कम्पनी को केवल ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करेगा जो निदेशक मंडल या लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित हो या जैसी भी मामला हो। लेकिन ऐसी सेवाओं में किसी भी वित्तीय सूचना प्रणाली का रूप और कार्यान्वयन शामिल नहीं होगा।
- उपर्युक्त उदाहरण में A Ltd. के निदेशक मंडल ने कम्पनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए उपयुक्त वित्तीय सूचना प्रणाली के रूप और कार्यान्वयन के कार्य को स्वीकार करने के लिए अपने वैधानिक लेखा परीक्षक से अनुरोध किया। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार सेवा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
- यदि वैधानिक अंकेक्षक नियत कार्य को स्वीकार करता है, तो वह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 147 में निर्दिष्ट दंड प्रावधानों को आकर्षित करेगा।
- उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में हम वैधानिक लेखा परीक्षक को उपयुक्त कार्यभार ग्रहण न करने की सलाह देंगे।

**Answer 4:**

- (a) अपनी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए उपयोग किया गया फंड – कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 में यह बताया गया है कि एक कम्पनी अपनी स्वयं की प्रतिभूतियों को निम्न में से खरीद सकती है :-
- (i) इसके मुक्त संचय या
- (ii) प्रतिभूतियों के प्रीमियम खाते या
- (iii) किसी भी अन्य या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के निर्गमन की राशि।
- यद्यपि किसी भी प्रकार के अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की पुनः खरीद उसी तरह के अंशों या उसी प्रकार की अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के पिछले अंक की आय से बाहर नहीं किया जा सकता है।
- कुछ निश्चित परिस्थितियों में पुनः खरीद के लिए निषेध : (धारा 70)**
- (1) प्रावधान के अनुसार कोई भी कम्पनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्वयं के अंश या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की खरीद नहीं करेगी—
- (a) अपनी सहायक कम्पनियों सहित किसी भी सहायक कम्पनी के माध्यम से या
- (b) किसी भी निवेश कम्पनी या निवेश कम्पनियों के समूह के माध्यम से या
- (c) यदि कम्पनी द्वारा जमा या ब्याज भुगतान के पुर्न भुगतान, ऋण पत्र या पूर्वाधिकार अंशों के

- शोधन या किसी अंशधारक को लाभांश का भुगतान या किसी भी ऋण या ब्याज देयता के भुगतान या किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंकिंग कम्पनी के भुगतान में चूक की है।  
लेकिन जहां चूक को हटा दिया जाता है और तीन साल की अवधि बीत जाने के बाद चूक हो जाती है, तो ऐसी पुनः खरीद पर रोक नहीं है।
- (2) कोई भी कम्पनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्वयं के अंश या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की खरीद नहीं करेगी यदि ऐसी कम्पनी ने धारा 92 (वार्षिक रिपोर्ट), 123 (लाभांश की घोषणा), 127 के प्रावधानों (लाभांश की विफलता के लिए सजा और धारा 129) (वित्तीय विवरण) का अनुपालन नहीं किया है।

**Answer:**

- (b) परकाम्य प्रलेख अधिनियम 1981 की धारा 44 के अनुसार, जब किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यक्ति ने एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर किए, विनिमय बिल या चेक में मुद्रा शामिल थी और मूल रूप से अनुपस्थित था या बाद में किसी भाग में विफल रहा, राशि जो ऐसे हस्ताक्षरकर्ता के साथ तत्काल संबंध में उपस्थित एक धारक से प्राप्त करने का हकदार है और आनुपातिक रूप से कम है।
- स्पष्टीकरण – विनिमय कर्ता विनिमय बिल के संबंध में स्वीकारकर्ता के संबंध में है। एक वचन पत्र के निर्माता, विनिमय बिल या चेक भुगतानकर्ता के तुरंत संबंध में है और इंडोरसर उसके इंडोरसी के साथ।
- अन्य हस्ताक्षरकर्ता एक धारक के साथ तत्काल संबंध में समझौता कर सकते हैं।
- दिए गए प्रश्न में सिंह चेक के आहरणकर्ता (राम) के साथ तत्काल संबंध में एक पक्ष है इसलिए वह राम से केवल स्वीकृत राशि वसूलने का हकदार है न कि चेक में दर्ज राशि। हालांकि चंद्रा का अधिकार, जो मूल्य का धारक है उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है और वह सिंह से चेक की पूरी राशि का दावा कर सकता है।

**Answer:**

- (c) (i) कम्पनी (जमाओं की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1) (ई) के अनुसार "योग्य कम्पनी से आशय कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 76 की उप धारा (1) में संदर्भित सार्वजनिक कम्पनी से है, जिसकी शुद्ध सम्पति 100 करोड़ रुपये से कम न हो या आवर्त 500 करोड़ रुपये से कम न हो और जिसने विशेष प्रस्ताव द्वारा सामान्य सभा में कम्पनी से पूर्व सहमति ले रखी हो और जनता से जमाएं स्वीकृति के आमंत्रण के लिए सम्बन्धित प्रस्ताव कम्पनी रजिस्ट्रार को फाइल किया हो। प्रदान किया है कि एक योग्य कम्पनी, जो कि धारा 180 के खण्ड सी की उप धारा (1) के अन्तर्गत सीमा में जमाएं स्वीकृत करती है, साधारण प्रस्ताव द्वारा जमा स्वीकार की जा सकती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (57) के अनुसार विकी लि. की सम्पति की निम्न प्रकार से गणना की जा सकती है :-
- |                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| प्रदत्त अंश पूंजी | – | 70 करोड़  |
| मुक्त संचय        | – | 20 करोड़  |
| प्रतिभूत प्रीमियम | – | 20 करोड़  |
| कुल               | – | 110 करोड़ |
- इस प्रकार विकी लि. एक योग्य कम्पनी है चूंकि इसकी शुद्ध सम्पति 100 करोड़ से अधिक है।
- अवधि जिसके लिए जमाएं स्वीकार की जा सकती है :-**
- कम्पनी (जमाओं की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 3(1)(ए) के अनुसार एक कम्पनी को जमाओं (चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित) की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिए अनुमति प्राप्त नहीं है, जो कि मांग पर या छः माह से कम समय में भुगतान योग्य है। यद्यपि, जमा स्वीकृति की अधिकतम अवधि 36 माह से अधिक नहीं हो सकती है।
- छः माह की अवधि के नियम का अपवाद :-**
- उपरोक्त नियम के प्रावधान के अनुसार लघु अवधि कोष की आवश्यकता के उद्देश्य के लिए सभा, एक कम्पनी संबन्धित शर्त के साथ पूर्व छः माह में पुनर्भुगतान के लिए जमा स्वीकार कर और पुन नवीनकृत कर सकती है, जबकि ऐी जमा कुल प्रदत्त अंश पूंजी, मुक्त संचय और कम्पनी के प्रतिभूति प्रीमियम खाते के 10% से अधिक नहीं हो सकती है।
- कम्पनी (जमाओं की स्वीकृति) नियम 2014 के नियम 3(1) (बी) के अनुसार ऐसी जमाएं जमाओं की पुनः नवीनीकरण की तिथि से तीन माह से पहले भुगतान नहीं होगी।

- जमाओं की अधिकतम राशि :- कम्पनी नियम (जमाओं की स्वीकृति) 2014 के नियम 3(4) (बी) के अनुसार, एक योग्य कम्पनी सदस्यों के अतिरिक्त व्यक्तियों से जमाओं की स्वीकृति या नवीनीकृत के लिए योग्य है। कानून के अनुसार जमाओं की राशि व बकाया जमाओं (सदस्यों की जमाओं के अलावा) जो प्राप्त या नवीनीकरण कम्पनी के प्रदत्त शेयर पूँजी मुफ्त संचय प्रतिभूति प्रिमियम का अधिकतम 25% तक हो सकती है।
- योजना ए = जमाओं की अधिकतम अवधि 4 माह है तो कम्पनी की प्रदत्त पूँजी मुफ्त संचय और प्रतिभूति प्रिमियम का अधिकतम 10% जमाए हो सकती है।
- अधिकतम जमाओं की राशि = 110 करोड़ का 10% (70 + 20 + 20) = 11 करोड़
- योजना बी के लिये जमाओं की अधिकतम राशि = 110 करोड़ का 25% (70+20+20).11 करोड़ (योजना ए के अन्तर्गत बकाया जमा) = 16.5 करोड़
- (ii) कम्पनी (जमाओं की प्राप्ति) नियम 2014 के नियम 3(5) के अनुसार विकी लि. जो पूर्णतः सरकारी अधिकृत कम्पनी है वह कम्पनी के प्रदत्त शेयर पूँजी मुक्त संचय व प्रतिभूति प्रिमियम के कुल योग का अधिकतम 35% तक जमायें या बकाया जमायें प्राप्ति या नवीनीकृत की तारीख को साथ में प्राप्त कर सकते है।
- योजना बी के लिये – 110 करोड़ के 35% तक अधिकतम जमायें (70+20+20) = 38.5

**Answer 5:**

- (a) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 3 के अनुसार एकल व्यक्ति कम्पनी के सीमा नियम अन्य व्यक्ति (नामांकित) के नाम दर्शायेगें, जो अभिदाता के मृत्यु या अनुबन्ध के अक्षमता के मामले में कम्पनी के 1 सदस्य बनेगा।
- अन्य व्यक्ति (नामांकित) जिसका नाम सीमानियम में है, उसे सम्बन्धित फॉर्म में प्राथमिक रूप से सहमति दी जाएगी और समान रूप से कम्पनी के निगमन के समय सीमानियम और अन्तर्नियम के साथ कम्पनी रजिस्ट्रार को दिए जाएंगें।
- ऐसे अन्य व्यक्ति (नामांकित) अपनी सहमति दिए गए तरीके से हटा सकते है।
- इस प्रकार उपरोक्त कानून के संबंध में श्री किंग, नामांकित, जिसका नाम सीमानियम में दिया हुआ है, ओ पी सी में नामांकित के रूप में अपनी सहमति, लिखित नोटिस में एक मात्र सदस्य और एकल व्यक्ति कम्पनी को देकर हटा सकता है।
- नामांकित की रूप में नामांकित होने योग्यता के संबंध में प्रथम के द्वितीय भाग के निम्न उत्तर है :-
- (i) कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार, कोई भी नाबालिग ओ.पी.सी. का सदस्य या नामांकित नहीं बनेगा। इसलिए श्री श्याम नाबालिक होने से ओ.पी.सी. के नामांकित के रूप में नामांकित होने के योग्य नहीं है।
- (ii) कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार, केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, वही एकल व्यक्ति कम्पनी का नामांकित या एक मात्र सदस्य होगा। शब्द "भारत में निवासी" से आशय एक व्यक्ति जो तुरन्त पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिनों के लिए भारत में रहा हो। यहां सुश्रुती देव की एक भारतीय नागरिक हे लेकिन भारत में निवासी नहीं है इसलिये वो ओ पी सी में नामांकित होने के लिये योग्य नहीं है।
- (iii) कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर एक से ज्यादा ओ पी सी में सदस्य नहीं हो सकता है और वह एक से ज्यादा ओ पी सी में नामांकित भी नहीं हो सकता है श्री अशोक जो भारतीय निवासी नागरिक है और ओ पी सी में सदस्य है (ओ पी सी में नामांकित नहीं है) वो नामांकित मनोनीत कर सकते है।

**Answer:**

- (b) व्याकरणिक व्याख्या और इसक अपवाद : व्याकरणिक व्याख्या खुद को विशेष रूप से कानून की मौखिक अभिव्यक्ति से चिंतित करती है, यह कानून के पत्र से परे नहीं जाती है। सभी सामान्य मामलों में, व्याकरणिक व्याख्या एकमात्र रूप स्वीकार्य है। अदालत कानून के पत्र को संशोधित करने से जोड़ या नहीं ले सकती है।
- यह नियम हालाकि, कुछ अपवादों के अधीन है :

- (1) जहां कानून का पत्र अस्पष्टता, असंगति या अपूर्णता के कारण तार्किक रूप से दोषपूर्ण है। अस्पष्टता के दोष के संबंध में, अदालत कानून के पत्र से परे यात्रा करने के लिए एक कर्तव्य के तहत है ताकि अन्य स्रोतों से विधायिका के सच्चे इरादे का निर्धारण किया जा सके। असंगत के कारण वैधानिक अभिव्यक्ति के दोषपूर्ण होने के मामले में, अदालत को कानून की भावना का पता लगाना चाहिए। {2 M}
- (2) यदि पाठ एक परिणाम की ओर जाता है जो इतना अनुचित है कि यह स्व-स्पष्ट है कि विधायिका का मतलब यह नहीं हो सकता कि वह क्या कहता है, तो अदालत विधिपूर्वक विधायिका के इरादे का हवाला देकर इस तरह के गतिरोध को हल कर सकती है। {2 M}

**Answer:**

- (c) अवधि प्रभार को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(16) में परिभाषित किया गया है, क्योंकि अधिकार किसी कंपनी या उसके उपक्रमों को सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों या एक सुरक्षा के रूप में या एक सुरक्षा और गिरवी के रूप में बताया गया एक ब्याज या ग्रहणाधिकार है। {1 M}
- उल्लंघन के लिए सजा**— कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 86 के अनुसार, यदि कोई कंपनी अध्याय VI के तहत कवर किए गए आरोपों के पंजीकरण के संबंध में कोई चूक करती है, तो 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। {1 M}
- हर चूक करने वाले अधिकारी को अधिकतम छह महीने की कैद या न्यूनतम पच्चीस हजार और अधिकतम एक लाख, या दोनों के साथ दण्डनीय है। {1 M}
- इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी गलत या गलत जानकारी को प्रस्तुत करता है या जानबूझकर किसी भी भौतिक जानकारी को दबाता है, जिसे धारा 77 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है, तो वह धारा 477 (धोखाधड़ी की सजा) के तहत कारवाई के लिए उत्तरदायी होगी। {1 M}

**Answer 6:**

- (a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने वकील के रूप में किसी भी व्यक्ति को भारत में या उसके बाहर किसी भी स्थान पर काम करने के लिए अधिकृत कर सकती है। लेकिन सामान्य मुहर को उसके अधिकार पत्र पर चिपका दिया जाना चाहिए या प्राधिकरण पत्र पर कंपनी के दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए या इसे एक निदेशक और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। यह अधिकार किसी भी कार्य के लिए सामान्य हो सकता है या यह किसी विशिष्ट कार्य के लिए हो सकता है। {2 M}
- कंपनी के ओर से और उसकी मुहर के तहत इस तरह के एक वकील द्वारा हस्ताक्षरित एक विलेख कंपनी को बाध्य करेगा जैसे कि यह उसके सामान्य मुहर के तहत बनाया गया था। {1 M}
- वर्तमान मामले में कंपनी में न तो कोई लिखित अधिकार दिया है और न ही प्राधिकरण पत्र पर सामान्य मुहर चिपकाई है। इसका मतलब है कि श्री पराग कंपनी की ओर से कानूनी तौर पर काम करने के हकदार नहीं है। इसलिए, उसके द्वारा निष्पादित कार्य कंपनी पर बाध्यकारी नहीं है। इसलिए, कंपनी एक भागीदार के रूप में अपनी देयता से इनकार कर सकती है। {2 M}

**Answer:**

- (b) (i) आमतौर पर किसी परन्तुक को किसी अधिनियम की किसी धारा में जोड़ा जाता है या कुछ विशेष धारा में उल्लिखित कुछ अर्हता प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है। एक परन्तुक की सामान्यतः सामान्य नियम के रूप में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। एक विशेष धारा के लिए एक परन्तु मुख्य प्रावधान के लिए एक अपवाद तैयार करता है जिसमें इसे एक परन्तुक के रूप में लागू किया गया है और कोई अन्य प्रावधान नहीं है। (राम नारियन संस लिमिटेड बनाम बिक्री कर आयुक्त एआईआर (1955) एस.सी. 765)। {2<sup>1/2</sup> M}
- (ii) कभी-कभी उस धारा में निहित मुख्य प्रावधानों को समझाने के उद्देश्य के लिए एक अधिनियम के किसी धारा में स्पष्टीकरण जोड़ा जाता है। यदि मुख्य धारा के प्रावधानों में कुछ अस्पष्टता है, तो स्पष्टीकरण मुख्य धारा में सुसंगत और स्पष्ट होने और अस्पष्टता के लिए डाला जाता है। स्पष्टीकरण को सम्मिलित करके कुछ प्रावधानों को जोड़ा जा सकता है या कुछ चीजें मुख्य प्रावधान से बाहर की जा सकती हैं। लेकिन इस धारा के दायरे को विस्तारित करने के लिए स्पष्टीकरण का अर्थ नहीं समझना चाहिए। {2<sup>1/2</sup> M}

**Answer:**

- (c) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, राजस्थान सरकार द्वारा AMC Ltd. के 25% अंशों की होल्डिंग इसे सरकारी कंपनी नहीं बनाती है। इसलिए, इसे एक गैर-सरकारी कंपनी के रूप में माना जाएगा। {1 M}
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत, कंपनी के सदस्यों द्वारा एक लेखापरीक्षक की नियुक्ति आमतौर पर कंपनी के सदस्यों के साथ होती है, जिसमें पहले लेखापरीक्षकों के मामले को छोड़कर और आमस्मिक रिक्ति को भरने के कारण नहीं होता है, लेखा परीक्षक जिस स्थिति में लेखापरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति निदेशक मण्डल के साथ निहित है। सदस्यों द्वारा नियुक्ति केवल एक सामान्य प्रस्ताव के माध्यम से होती है और अधिनियम में कोई अपवाद नहीं किया गया है जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। {2 M}
- अतः श्री संजय का विवाद समर्थनीय नहीं है। नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वैध है। {1 M}

**Answer 7:**

- (a) कम्पनियों की धारा 62(1)(सी) के अंतर्गत, 2013 में जहाँ किसी भी समय, अंश पूंजी रखने वाली कम्पनी आगे अंशों के जारी पर अपनी अभिदत्त पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है, या तो नकदी के लिए या नकदी के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए, इस तरह के अंशों को किसी भी व्यक्ति को पेश किया जा सकता है, यदि यह एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत है और यदि ऐसे अंशों की कीमत एक पंजीकृत मूल्य के मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा निर्धारित की जाती है, अध्याय III के लागू प्रावधान और किसी भी अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। {3 M}
- वर्तमान मामले में, मार्स इंडिया लिमिटेड को अपने ऋण के निपटान में सुनील को अंश आवंटित करने का अधिकार है। इस जारी को एक विशेष प्रस्ताव द्वारा सदस्यों द्वारा अनुमोदित नकदी के अलावा अन्य जारी पर प्रतिफल करने के लिए वर्गीकृत किया जाएगा। {1 M}
- इसके अलावा, अंशों का मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए, अध्याय III के लागू प्रावधान के अनुपालन और निर्धारित की जा सकने वाली अन्य शर्तों की अधीन होना चाहिए। {1 M}

**Answer:**

- (b) वचन पत्र बनाने की क्षमता, आदि (परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 26)– प्रत्येक व्यक्ति, जिस विधि के अधीन वह अधीन है उसके अनुसार संविदा करने में सक्षम है, वह स्वयं को बाँध सकता है और वचन पत्र, स्वीकृति, अनुमोदन, सुपुर्दगी और वार्ता के निर्माण, विनिमय पत्र या चेक के द्वारा आबद्ध हो सकता है। {2 M}
- हालांकि, एक नाबालिग इस तरह के उपकरणों को आकर्षित कर सकता है, समर्थन, वितरित और बातचीत कर सकता है ताकि सभी दलों को खुद को छोड़कर बाँध सके। {1 M}
- प्रश्न में दिए गए तथ्यों के अनुसार, श्री एस. वेंकटेश ने एक नाबालिग, M के पक्ष में एक चेक रेखांकित किया है। M अपने किराए की बकाया राशि पत्र निपटान करने के लिए Mrs. A के पक्ष में चेक एंडोर्स करता है। चेक को तब अपमानित किया गया जब इसे Mrs. A ने धन की अपर्याप्तता के आधार पर बैंक को प्रस्तुत किया। यहाँ इस मामले में M नाबालिग होने के नाते खित का आहरण, समर्थन, परिपालन और परकाम्य कर सकता है ताकि वह अपने सिवाय सभी पक्षों को बाँध सके। इसलिए M उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार Mrs. A श्री एस. वेंकटेश से बकाया राशि एकत्र करने के लिए आगे बढ़ सकती है। {2 M}

**Answer:**

- (c) (i) "शपथ पत्र" [सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3(3)], :- "शपथ पत्र" कानून के द्वारा व्यक्ति के मामले में घोषणा और समर्थन को शामिल करेगा जो शपथ ग्रहण की जगह घोषित या समर्थन की अनुमति देगा। {2 M}
- उपरोक्त परिभाषा समावेशी प्रकृति में है। यह बताती है कि शपथ पत्र समर्थन और घोषणाएं शामिल करता है। यह परिभाषा शपथ पत्र को परिभाषित नहीं करती है। यद्यपि, हम यह शब्द सामान्य बोल-चाल में समझ सकते हैं। शपथ पत्र एक लिखित विवरण है जो शपथ या न्यायालय में सबूत के उपयोग के समर्थन में या किसी अधिकारी के समक्ष पुष्टि करता है।
- (ii) "सद्भाव पूर्वक" [सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3(22)] :- कोई वस्तु "सद्भाव" में की गई मानी जाएगी यदि वह ईमानदारी से की गई है, यद्यपि वह लापरवाही से की गई है या नहीं। स्थितियों के अनुसार इसका निर्धारण होता है कुछ भी जो परवाह के साथ और ध्यान रख के किया जो दुर्भावपूर्ण ना हो चाहे नगण्य रूप में किया हो पर उसे सद्भावपूर्ण नहीं कया ऐसा नहीं मानेंगे। {2 M}